कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला–रायसेन (म0प्र0)

रायसेन, दिनांक – 23.03.2017

–: : विज्ञप्ति : :–

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का पंचम चरण में ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन, वर्ष 2017–18

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य. शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि रायसेन जिले में वर्ष 2017–18 अर्थात् 01 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 27 दिनांक 18 जनवरी 2017 में प्रकाशित शर्तो एवं प्रक्रिया के अधीन, आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के पत्र कमांक 7–ठेका/2017–18/31 दिनांक 20.01.2017, कमांक/आब./ठेका/2017–18/522 दिनांक 23.03.2017 में उल्लेखित निर्देशों एवं व्यवस्था अंतर्गत चतुर्थ चरण में ई–टेण्डर से निष्पादन के अभाव में शेष रही जिले की **13 देशी मदिरा** एवं **05 विदेशी मदिरा** की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों (05 समूह) का पंचम चरण में **ई–टेण्डर के माध्यम से** निष्पादन निम्नानुसार तिथि में जिला समिति द्वारा **कलेक्टोरेट, रायसेन** में किया जावेगा :–

क्र.	विवरण	तिथि एवं समय
1	ई–टेण्डर हेतु ऑन–लाईन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 25 मार्च, 2017 प्रातः 12:00 बजे से 28 मार्च, 2017 दोपहर 02:00 बजे तक।
2	ऑन–लाईन ई–टेण्डर ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 28 मार्च, 2017 दोपहर 03:30 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 28 मार्च, 2017 को सायंकाल 04:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

वर्ष 2017–18 के लिये ई–टेण्डर, द्वारा पंचम चरण में निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेल पेपर) एवं ड्यूटी की दर, ई–टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम के पोर्टल **(www.mpeproc.gov.in)** पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक टेण्डरदाता उक्त पोर्टल से ही ई–टेण्डर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेगे।

कोई भी सामान्य व्यक्ति **www.mpeproc.gov.in** के होम पेज पर लाईव टेण्डर के आप्शन के अंतर्गत आबकारी विभाग का चयन कर एडवांस सर्च के माध्यम से रायसेन जिले की पंचम चरण में ई–टेण्डर के निष्पादन की कार्यवाही के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

पंचम चरण में ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रभावशील शर्ते एवं नियम संबंधी जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय जिला रायसेन से भी प्राप्त की जा सकती है तथा कार्यालय से उक्त पोर्टल पर निविदा भरने की प्रकिया की जानकारी भी दी जा सकेगी।

टीप :– रायसेन जिले की मदिरा दुकानों के पंचम चरण में ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति, सेल पेपर आदि जानकारी वेबसाईट **(www.raisen.nic.in)** से भी डाउनलोड की जा सकती है।

(भावना वालिम्बे)
कलेक्टर,
जिला–रायसेन